न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–455 सन् 2016

संजीत श्रीवास्तव....................वादी।

बनाम

रूपन राय वो अन्य..............................प्रतिवादीगण।

दिनांक–21.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.02.2021 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में वादी निम्न दस्तावेज दाखिल किया है जो इस प्रकार से है–

1. अभिप्रमाणित प्रति खतियान मौजा–मकरा खाता नं0 46,
2. अभिप्रमाणित प्रति खतियान मौजा–मकरा खाता सं0 69,
3. अभिप्रमाणित प्रति खेवट–1/5 हिन्दी रूपांतरण सहित।
4. अभिप्रमाणित प्रति खेवट– 1/6 हिन्दी रूपांतरण सहित।
5. अभिप्रमाणित प्रति खेवट मौजा हाशिलपुर थाना–सोनपुर।
6. मूल दस्तावेज बैनामा डिड नं0 4034, उपरोक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज के अंतर्गत आता है। न्यायहित में जिसका प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल लोक दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से आवेदन में लिखित दस्तावेज को दाखिल कर प्रदर्श मार्क के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी को उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु बार–बार मौका देने के पश्चात् भी प्रतिउत्तर दाखिल

नहीं किया गया है। वादी द्वारा दाखिल उक्त सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त दस्तावेज को न्यायहित में प्रदर्श मार्क करने हेतु दाखिल आवेदन को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।